

# मूल वाद में डिक्की

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या- 205/ 2018

1. देबी पिता मांगु जाट , निवासी - धनपुरा , टोंकरवाड तहसील हुरडा ।

-वादीगण

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील हुरडा।

बनाम

-प्रतिवादीगण

प्रेषिति:-

वादपत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से देबी प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 18.05.2018 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्की दी जाती है कि दावा वादी डिक्की किया जाकर मौजा धनपुरा पटवार हल्का टोंकरवाड तहसील हुरडा कि आराजी न0 299, 308, 312, 317, 336, 342, 343, 408, 409 किता 9 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि में देबी 1/3, नारायण 1/3, माधु 1/3, पिता मांगु जाट शेष बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

यह आज तारीख 18.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्चे

उपरखण्ड अधिकारी  
न्यायाधीश  
एच पदेन सहायक कलेक्टर  
गुलाबपुरा केम्प

वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना	00	00	6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील					
8. स्टाम्प					
योग:-	00	00		00	00

